न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 437 / 2026

अनवान : –

1. समुन पुत्र सकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहम्मद रफीक पुत्र शकूर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. आसिफ पुत्र सकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. शकुर खां पुत्र गफुरदिन जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. फिरदोस पुत्री शकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. रफीजा पुत्री शकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 03/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26 / 22 के कुल खसरे 2 कि कुल 0.9042 है. भूमि में से 3886 / 4521 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृ षि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्साा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की व्योवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसप्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26 / 22 के कुल खसरे 2 कि कुल 0.9042 है. भूमि में से 3886 / 4521 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 3 ब.हि.ब. काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26 / 22 के कुल खसरे 2 कि कुल ०. 9042 है. भूमि में से 3886 / 4521 हिस्सा भूमि में से

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृ षि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्साा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की व्योवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसप्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26/22 के कुल खसरे 2 कि कुल 0.9042 है. भूमि में से 3886/4521 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 3 ब.हि.ब. काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा वादीगण के वाद

Rahul, उपखण्ड अधिकारी नोहर

को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26/22 के कुल खसरे 2 कि कुल 0. 9042 है. भूमि में से 3886/4521 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृ षि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्साा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की व्योवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसप्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26/22 के कुल खसरे 2 कि कुल 0.9042 है. भूमि में से 3886/4521 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 3 ब.हि.ब. काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26/22 के कुल खसरे 2 कि कुल ०. 9042 है. भूमि में से 3886/4521 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....03/06/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 437 / 2026

अनवान : –

1. समुन पुत्र सकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहम्मद रफीक पुत्र शकूर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. आसिफ पुत्र सकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. शकुर खां पुत्र गफुरदिन जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. फिरदोस पुत्री शकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. रफीजा पुत्री शकुर जाति मुसलमानकुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 437 सन 2026 निर्णय दिनांक 03/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 26 / 22 के कुल खसरे 2 कि कुल 0.9042 है. भूमि में से 3886 / 4521 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर